न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थना नम्बर 07 / 2021

मालाराम पुत्र पुर्णाराम जाति पुरोहित निवासी सातलेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर — निर्णय दिनांक: [illegible]

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—
1. श्री भागीरथ सिंह अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

यह प्रार्थना पत्र मालाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत खसरा न. 01 तादादी 15.04 हैक्टेयर (मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 08 तादादी 4.16 (मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) वाकेराही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त खसरान भूमि में प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। 2/5 हिस्सा की खातेदारी कालूराम पुत्र भोमाराम के नाम से व 2/5 हिस्सा की खातेदारी गिरधारीलाल पुत्र भोमराम के नाम दर्ज है। उक्त खसरान भूमि काविरास्तन इनतकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मालाराम की जगह मानाराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम है। खोतदारी में सहबन से मालाराम पुत्र पूर्णाराम की जगह मानाराम पुत्र पूर्णाराम दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी को जब उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी. सी. बनाने हेतुअ पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 04.01.2021 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई कि प्रार्थी के उक्त संयुक्त खोतदारी के खेतो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मानाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही मालाराम पुत्र पूर्णाराम रहा है।प्रार्थी कृषि पैशा व अनपढ़ व्यक्ति है तथा कृषि पैशा व्यक्ति होने के कारण व कृषि कार्य में व्यस्त रहने के कारण कभी अपने राजस्व रिकार्ड को नहीं संभाला। प्रार्थी अनपढ़ व कृषि व्यक्ति है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड को नकले लेने पर ही सारी जानकारी हो पाई है। प्रार्थी के तमान सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास आदि में भी प्रार्थी का नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित चला आ रहा हे। प्रार्थी को अपने गांव व रिश्तेदारी परिवार आदि में मालाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम से जान[illegible] ग्राम सातेलेरा में मानाराम पुत्र पूर्णाराम नाम को व्यक्ति नही है बल्कि मालाराम पुत्र पूर्णाराम नाम का प्रार्थी ही एकमात्र व्यक्ति है उक्त दोनो नाम एक ही [illegible] के नाम है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतिया अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत [illegible] जा रही है। प्रार्थी उपरोक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:24 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारों से ही वंचित हो रहा है। यह कि वर्णित खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व ... में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 05.01.2021 को अप्रार्थी ... निवेदन किया कि मेरा नाम मालाराम है तथा मेरे तमाम सरकारी दस्तावेजों में भी मेरा नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम चला आ रहा हैं परन्तु चौसाला जमाबन्दियों में मेरा नाम गलत रूप से मानाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित चला आ रहा है जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित कर देवे ता अप्रार्थी न प्रार्थी को कहा कि ऐसी गलती जिसको हम दुरूस्त नही कर सकते, इसलिए आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वर्णित खसरा भूमि ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:—

खेत खसरा नम्बर 01 तादादी 15.04 हैक्टेयर (मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 08 तादादी 4.16(मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) वाकेराही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित हुआ है उसकी जगह मालाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने को आदेश अप्रार्थी को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे । श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का सही नाम मालाराम व जाति ब्राहम्मण किये जानें बावत् प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न इन्तकाल संख्या 2095 दिनांक 23.11.2006 व इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 15.11.2010 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 01 तादादी 15.04 हैक्टेयर (मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 08 तादादी 4.16(मय गै.मु.रा. 0.19 हैक्टेयर) वाकेराही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम मानाराम पुत्र पूर्णाराम अंकित हुआ है उसकी जगह शुद्ध नाम मालाराम पुत्र पूर्णाराम व जाति ब्राहम्मण अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2021 को सरे इजलास ... द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी ... निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ